सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाकरीता अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र (VCDC)/ नागरी बाल विकास केंद्र (UCDC) या योजनांकरिता अर्थसंकल्पीत केलेला निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन महिला व बाल विकास विभाग,

शासन निर्णय क्रमांक:- एबावि-२०२५/प्र.क्र.६८/का-५ नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. दिनांक: १४ जुलै, २०२५.

शासन निर्णय :-

राज्यातील कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ग्राम बाल विकास केंद्र (VCDC)/ नागरी बाल विकास केंद्र (UCDC) या योजनांकरिता विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक (२) मधील लेखाशीर्ष/उद्दीष्टाकरिता रकाना क्रमांक (४) प्रमाणे एकूण रु. ८.०० कोटी (अक्षरी आठ कोटी फक्त) इतका निधी आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

(रुपये कोटीत)

| अ. क्र | योजनेचे नाव | लेखाशिर्ष | अर्थसंकल्पित | या आदेशान्वये |
|--------|-----------------|---|--------------|---------------|
| | | | तरतूद | वितरीत |
| | | | सन २०२५-२६ | करण्यात येत |
| | | | | असलेला निधी |
| | ٩ | २ | 3 | 8 |
| ٩. | ग्राम बाल विकास | मागणी क्र.एक्स-१, | | |
| | केंद्र (VCDC) | २२३६ पोषण आहार, | 98.00 | 0.00 |
| | | १०१ विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, | | |
| | | (०९) अतितीव्र कुपोषित बालकांवर उपचार, | | |
| | | (०९) (०१) ग्राम बाल विकास केंद्र कार्यक्रम, | | |
| | | (२२३६ १९९२), | | |
| | | ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) | | |
| ₹. | नागरी बाल विकास | मागणी क्र.एक्स-१, | | |
| | केंद्र (UCDC) | २२३६ पोषण आहार, | | |
| | | १०१ विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, | 9.00 | 9.00 |
| | | (०९) अतितीव्र कुपोषित बालकांवर उपचार, | | |
| | | (०९) (०२) नागरी बाल विकास केंद्र कार्यक्रम, | | |
| | | (२२३६ २६३८), | | |
| | | ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) | | |
| एकूण | | | १५.०० | ٥٠.٥ |

- २. सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. १८५/का.१४७२ दि.०४.०६.२०२५ व वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२१३/व्यय-६ दि. ०४.०७.२०२५ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे.
- ३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२५०७१४१०४६०३९६३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(वि.रा.ठाकूर) सह सचिव,महाराष्ट्र शासन

प्रत.

- १. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर
- २. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई,
- ३. मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री (म.व. बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
- ४. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.
- ५. सर्व विभागीय उपायुक्त, महिला व बाल विकास.
- ६. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद
- ७. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) प्रकल्प.
- ८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई.
- ९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई.
- १०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी.
- ११. सचिव, महिला व बाल विकास यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
- १२. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का. १४७२)/ वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई.
- १३.कक्ष अधिकारी(कार्यासन-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १३. निवड नस्ती (का-५), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२.